


16-⁰⁶/₂₀₂₁



गणेश वसिष्ठ द्वारा सांख्य सिद्धि पर
एते पर प्रथम संवर्षी परीचे पर
आप्त प्राप्त की गई, वसिष्ठ वसिष्ठ के
सांख्य पर एते प्रश्न थे कि
संख्य के वसिष्ठ व वसिष्ठ के



राजीनामा हो गया है। अतः कादपत्र विद्वा
 लाले की अनुमति उदान करे। वकील वकील
 का का पत्र विद्वा न्यायहित में स्वीकार किया
 जाकर दावा विद्वा की अनुमति उदान की
 जाती है। कार्यवाही उकारण इसी स्तर पर
 drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
 होकर नम्बर से काम हो तथा बाद तकमील
 दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा
 आज दिनांक 16/06/2021 को मेरे हस्ताक्षरित
 कर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।



(राकेश कुमार) RAS

उपपरिचालक अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

खण्डेला (सीकर)